

सं० सं० 14/.एम 11-2/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

टाटा स्मारक अस्पताल,

परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.9.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विनय कुमार पिता-स्व. राम खेलावर राम ग्राम-कल्याणपुर पो०+थाना+जिला-जमुई केसफाइलन०-सीएम/38353	कैंसर रोग	₹ 30,000/- (तीस हजार) स्वीकृत।
2	सतीश कुमार पिता-देवकी राम ग्राम-साथे पो०-खडसाढी थाना-कौवाकोल जिला-नवादा केसफाइलन०-सीएन/19282	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	बुचुन शर्मा पिता-स्व. जीतन लोहार ग्राम-सिन्धी पो०-चाके डिहरा थाना-बेलाव जिला-भभुआ कैमुर केसफाइलन०-सीएम/36044	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	मो० निसार पिता-मो० जहीर ग्राम-महाराजगंज पो०+थाना-लहेरिया सराय जिला-दरभंगा केसफाइलन०-सीजे०/33501	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
5	शिवेन्द्र कुमार सिंह पिता-मुकुट धारी सिंह ग्राम-कुंदन भवन विनोबापथ पो०-जी०पी०ओ० थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना केसफाइलन०-सीजे०/22293	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।

21/11/16  
7/11/16

6	मीना देवी पति-स्व. अशोक कुमार रजक ग्राम-धोबी टोला दानापुर पो0+थाना-दानापुर जिला-पटना केसफाइलनं0-सीएन/11206	कैंसर रोग	₹ 35,000/- (पैंतीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,85,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,85,000/- (तीन लाख पचासी हजार ) रुपया का क्रास चेक सं0....  
2/11/10.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन


ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1458(14)

पटना, दिनांक 07/10/16

प्रतिलिपि-लेखापाल,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ श्री संजय सरावगी स.वि.स. दरभंगा / सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.10.16